भाग I - वित्तीय सांख्यिकी

1. मौद्रिक सांख्यिकी

1.1 परिचय

भारतीय रिज़र्व बैंक की सुदीर्घ परंपरा रही है कि वह 1935 से ही मौद्रिक सांख्यिकी के संकलन और प्रसार का कार्य करता आ रहा है । भारतीय अर्थव्यवस्था में निरंतर हो रहे परिवर्तनों और मौद्रिक क्षेत्र की गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर कार्यकारी दलों का गठन किया जाता रहा है, जो कुल मौद्रिक जमाराशियों की समीक्षा करता है और उनका परिष्करण करता है ।अब तक ऐसे तीन कार्यकारी दल गठित किये गये हैं, यथा, मुद्रा आपूर्ति के संबंध में प्रथम कार्यकारी दल (एफडब्लूजी)(1961), द्वितीय कार्यकारी दल (एसडब्लूजी)(1977) और ''मुद्रा आपूर्ति के संबंध में कार्यकारी दल :एनैलिटिक्स एंड मेथोडोलॉजी ऑफ कंपाइलेशन'' (डब्लूजीएमएस) (अध्यक्ष : डॉ. वाई.वी.रेड्डी) (1998) । इस समय मौद्रिक सांख्यिकी का संकलन एक तुलनपत्र ढाँचे पर किया जाता है, जिसके आँकड़े बैंकिंग क्षेत्र और डाक-अधिकारियों से लिये जाते हैं । कुल मौद्रिक जमाराशियों के पीछे जो औचित्य और आधार है, उससे जनता को विविध रिपोर्टों के माध्यम से अवगत कराया जाता रहा है, खासकर विभिन्न कार्यकारी दलों की रिपोर्टों के माध्यम से । कुल मौद्रिक जमाराशियाँ भारतीय रिज़र्व बैंक के अधिकांश प्रमुख प्रकाशनों में नियमित रूप से प्रकाशित की जाती हैं, जैसेकि बैंक की वार्षिक रिपोर्ट, मुद्रा और वित्त पर रिपोर्ट, हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स, आरबीआई बुलेटिन, वीकली स्टैटिस्टिकल सप्लीमेंट आदि।

'मुद्रा' की कोई अन्यतम परिभाषा नहीं है, चाहे आर्थिक सिद्धांत में अवधारणा के रूप में या व्यावहारिक माप के रूप में । मुद्रा भुगतान का साधन होती है और इस प्रकार वह विनिमय की सुविधा में स्नेहन का कार्य करती है । मुद्रा मूल्य के भंडारण और लेखे की इकाई के रूप में भी कार्य करती है । तथापि, वास्तविक जगत में मुद्रा मूर्त पारिश्रमिक के साथ-साथ मौद्रिक सेवाएँ भी प्रदान करती है । यही कारण है कि मुद्रा का संबंध उन कार्यकलापों से होता है, जिनका अनुसरण आर्थिक इकाइयाँ किया करती हैं ।इसलिए नीतिगत प्रयोजनों के लिए मुद्रा की परिभाषा अर्थसुलभ

वित्तीय आस्तियों के समुच्चय के रूप में दी जा सकती है, जिसके स्टॉक में घट-बढ़ का प्रभाव सकल आर्थिक कार्यकलाप पर हो सकता है । सांख्यिकीय अवधारणा के रूप में, मुद्रा में वित्तीय मध्यवर्तियों या अन्य जारीकर्ताओं के किसी खास समुच्चय की कतिपय चलनिधि देयताएँ शामिल हो सकती हैं। इस प्रकार, अन्य देशों की ही तरह, भारत में मौद्रिक और चलनिधि मापन शृंखला का संकलन किया जाता है।

1.2. अवधारणाएँ और परिभाषाएँ

भारत में विविध प्रकार के मौद्रिक और चलनिधि समुच्चयों का संकलन किया जाता है और उनकी परिभाषाएँ सारणी 1.1 में दी गयी हैं ।

मौद्रिक और चलनिधि समुच्चयों के विविध घटकों को नीचे पुनः निर्दिष्ट किया गया है :

'संचलन में मुद्रा' में शामिल होते हैं संचलन में नोट, रुपया सिक्के और छोटे सिक्के । भारतीय रिज़र्व बैंक के तुलनपत्र में रुपया सिक्कों और छोटे सिक्कों में अक्तूबर, 1969 से जारी दस रुपया सिक्के, नवंबर 1982 से जारी दो रुपया सिक्के और नवंबर 1985 से जारी पाँच रुपया सिक्के शामिल होते हैं । जनता के पास मुद्रा का निर्धारण संचलन में कुल मुद्रा में से बैंकों के पास नकदी को घटाकर, जैसाकि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा रिपोर्ट की जाती है , किया जाता है।

सारणी 1.1 : मौद्रिक एवं चलनिधि समुच्चयों की माप

आरक्षित मुद्रा	=	संचलन में मुद्रा + आरबीआई के पास बैंकों की जमाराशियाँ + आरबीआई के पास 'अन्य' जमाराशियाँ = सरकार को निवल आरबीआई ऋण + वाणिज्यिक क्षेत्र को आरबीआई ऋण + बैंकों पर आरबीआई के दावे + आरबीआई की निवल विदेशी आस्तियाँ + जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएँ-आरबीआई की निवल गैर-मौद्रिक देयताएँ
$एम_1$	=	जनता के पास मुद्रा + बैंकिंग प्रणाली के पास मांग जमा+आरबीआई के पास 'अन्य' जमा
$एम_2$	=	$एम_1$ + डाकघर बचत बैंकों की बचत जमाराशियाँ
$एम_3$	=	$एम_1$ + बैंकिंग प्रणाली के पास मीयादी जमाराशियाँ = सरकार को निवल बैंक ऋण + वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण + बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियाँ + जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएँ-बैंकिंग क्षेत्र की निवल गैर-मौद्रिक देयताएँ
$एम_4$	=	$एम_3$ + डाकघर बचत बैंकों के पास सभी जमाराशियाँ (राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रों को छोड़कर)
$एनएम_1$	=	जनता के पास मुद्रा + बैंकिंग प्रणाली के पास मांग जमाराशियाँ + आरबीआई के पास 'अन्य' जमाराशियाँ
$एनएम_3$	=	$एनएम_1$ + निवासियों की अल्पावधि मीयादी जमाराशियाँ (एक वर्ष की संविदागत परिपक्वता तक और उसे शामिल करते हुए)
$एनएम_3$	=	$एनएम_2$ + निवासियों की दीर्घावधि मीयादी जमाराशियाँ+वित्तीय संस्थाओं से मांग/ मीयादी निधीयन
$एल_1$	=	$एनएम_3$ + डाकघर बचत बैंकों के पास सभी जमाराशियाँ (राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रों को छोड़कर)
$एल_2$	=	$एल_1$ + मीयादी उधार देने वाली संस्थाओं और पुनर्वित्त संस्थाओं(एफआई) के पास मीयादी जमाराशियाँ + एफआई द्वारा लिये गये उधार + एफआई द्वारा जारी किये गये जमा प्रमाणपत्र
$एल_3$	=	$एल_2$ + गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की जनता जमाराशि
सरकार को निवल बैंक ऋण	=	सरकार को निवल आरबीआई ऋण (अर्थात् केंद्र को निवल आरबीआई ऋण + राज्य सरकारों को निवल आरबीआई ऋण) + सरकार को अन्य बैंकों का ऋण
वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण	=	वाणिज्यिक क्षेत्र को आरबीआई ऋण + वाणिज्यिक क्षेत्र को अन्य बैंकों का ऋण
बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी आस्तियाँ	=	आरबीआई की निवल विदेशी आस्तियाँ + अन्य बैंकों की विदेशी आस्तियाँ
बैंकिंग क्षेत्र की निवल गैर मौद्रिक देयताएं	=	आरबीआई की निवल गैर मौद्रिक देयताएँ + अन्य बैंकों की निवल गैर मौद्रिक देयताएँ

'रिज़र्व बैंक में बैंकों की जमाराशियों' में रिज़र्व बैंक के पास चालू खाते में बैंकों की जमाराशियों को शामिल किया जाता है, जो मुख्यतः आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) बनाये रखने और समाशोधन संबंधी समायोजनों के लिए कार्यकारी निधियों के रूप में होती हैं। मौद्रिक संकलन के प्रयोजनार्थ रिज़र्व बैंक में 'अन्य' जमाराशियों में विदेशी केंद्रीय बैंकों, बहुपक्षीय संस्थाओं, वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त जमाराशियाँ और आईएमएफ खाता सं.1 को घटाकर प्राप्त फुटकर जमाराशियाँ शामिल होती हैं ।

'सरकार को निवल रिज़र्व बैंक ऋण' में शामिल होते हैं रिज़र्व बैंक द्वारा केंद्र और राज्य सरकारों को दिये गये ऋण । इसमें सरकारों को दिये गये अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट, रिज़र्व बैंक में धारित सरकारी प्रतिभूतियाँ, और रिज़र्व बैंक में धारित रुपया सिक्के घटाकर रिज़र्व बैंक में संबंधित सरकारों की जमाराशियाँ शामिल होती हैं । बैंकों पर रिज़र्व बैंक के दावों में शामिल होते हैं नाबार्ड सहित बैंकों को दिये गये ऋण। नये मौद्रिक समुच्चयों के मामले में नाबार्ड को रिज़र्व बैंक द्वारा दिये गये पुनर्वित्त को, जो पूर्व में बैंकों पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दावों के भाग के रूप में होता था, वाणिज्यिक क्षेत्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के ऋण के भाग के रूप में वर्गीकृत किया गया है ।

'वाणिज्यिक क्षेत्र को रिज़र्व बैंक का ऋण' वित्तीय संस्थाओं के बांडों/शेयरों में निवेश, उनको दिये गये ऋण और खरीदे और भुनाये गये आंतरिक बिलों के धारण का द्योतक होता है । 'जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताओं' में शामिल होते हैं रुपया सिक्के और छोटे सिक्के।

रिज़र्व बैंक की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियों में इसकी विदेशी मुद्रा आस्तियाँ और स्वर्ण के धारण शामिल होते हैं । रिज़र्व बैंक के निर्गम विभाग की आरक्षित स्वर्ण निधि का मूल्य अक्तूबर 5, 1956 तक प्रति तोला 21.24 रुपये के हिसाब से लगाया जाता था; उसके बाद यह जनवरी 31, 1969 तक प्रति तोला 62.50 रुपये और अक्तूबर 16, 1990 तक प्रति तोला 98.44 रुपये (प्रति 10 ग्राम 84.39 रुपये) लगाया जाता था । अक्तूबर 17, 1990 से स्वर्ण का मूल्य माह के अंत में लंदन में उस माह के लिए उद्धृत दैनिक औसत मूल्य के 90 प्रतिशत पर लगाया जाता है । रुपये में सममूल्य राशि का निर्धारण महीने के अंतिम कारोबार दिवस को प्रचलित विनिमय दर के आधार पर किया जाता है। वसूल नहीं हुए लाभों/हानियों का समायोजन करेंसी एंड गोल्ड रिवैल्युएशन एकाउंट (सीजीआरए) में किया जाता है। रिज़र्व बैंक की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियों में अक्तूबर 17, 1990 से प्रभावी स्वर्ण के मूल्य में अंतरराष्ट्रीय बाजार मूल्य के आधार पर इसके पुनर्मूल्यन के कारण हुई मूल्यवृद्धि के प्रभाव को हिसाब में लिया जाता है । ऐसी मूल्यवृद्धि का तदनुरूपी प्रभाव रिज़र्व बैंक की निवल गैर-मौद्रिक देयताओं पर होता है ।

'रिज़र्व बैंक की अन्य देयताओं' में शामिल होती हैं रिज़र्व बैंक की आंतरिक आरक्षित निधियाँ और प्रावधान, जैसेकि एक्सचेंज इक्वैलाइजेशन एकाउंट (ईईए), करेंसी एंड गोल्ड रिवैल्युएशन एकाउंट (सीजीआरए), कंटिंजेंसी रिज़र्व, ऐसेट डेवलपमेंट रिज़र्व । आरक्षित निधियाँ, यथा, कंटिंजेंसी रिज़र्व, ऐसेट डेवलपमेंट रिज़र्व, सीजीआरए और ईईए, जो 'अन्य देयताओं' में प्रदर्शित होते हैं, रिज़र्व बैंक द्वारा सुस्पष्ट तुलनपत्र शीर्ष के रूप में रिज़र्व बैंक द्वारा धारित 6.500 करोड़ रुपये की 'आरक्षित निधि' के अतिरिक्त हैं । विनिमय दर में उतार-चढ़ाव और/या स्वर्ण के मूल्य में घट-बढ़ के कारण विदेशी मुद्रा आस्तियों और स्वर्ण के मूल्य में लाभ/हानि का हिसाब लाभ-हानि लेखा में नहीं किया जाता है, लेकिन उन्हें सीजीआरए के रूप में नामित तुलनपत्र शीर्ष के अंतर्गत बुक किया जाता है । शेष द्योतक होता है- विदेशी मुद्रा आस्तियों और स्वर्ण के मूल्यन पर संचित निवल लाभ का । सीजीआरए को पूर्व में एक्सचेंज फ्लक्चुएशन रिज़र्व (ईएफआर) के रूप में जाना जाता

था। ईईए में शेष द्योतक होता है वायदा प्रतिबद्धताओं के कारण हुई विनिमय हानि के लिए किये गये प्रावधानन का । आकस्मिकता आरक्षित निधि उस राशि का द्योतक होती है, जो वर्षानुवर्षी आधार पर अप्रत्याशित एवं अदृष्ट आकस्मिकताओं को पूरा करने के लिए अलग रखी जाती है । इन आकस्मिकताओं में प्रतिभूतियों के मूल्य में ह्रास, मौद्रिक/विनिमय दर नीति संबंधी बाध्यताओं से उत्पन्न विनिमय गारंटी और जोखिम शामिल होते हैं । आंतरिक पूँजीगत व्यय को पूरा करने और अनुषंगी तथा सहायक संस्थाओं में निवेश करने के लिए एक अतिरिक्त विनिर्दिष्ट राशि का प्रावधान किया जाता है और उसे ऐसेट डेवलपमेंट रिज़र्व में जमा कर दिया जाता है ।

'रिज़र्व बैंक की निवल गैर-मौद्रिक देयताएँ' (एनएनएमएल) वे देयताएँ होती हैं, जिनका कोई मौद्रिक प्रभाव नहीं होता है । इनमें शामिल मदें, रिज़र्व बैंक की चुकता पूँजी और आरक्षित निधि, राष्ट्रीय निधियों (एनआइसी-एलटीओ निधि और एनएचसी-एलटीओ निधि) में अंशदान, भारतीय रिज़र्व बैंक कर्मचारी भविष्य निधि और अधिवर्षिता निधि, देय बिल, भारतीय रिज़र्व बैंक में अनिवार्य जमा, अन्य जमाराशियों के अंतर्गत अस्थायी रूप से धारित भारतीय रिज़र्व बैंक के लाभ, अन्य जमाराशियों के अंतर्गत राज्य सरकार ऋण खाते में धारित राशि, आईएमएफ कोटा अभिदान और भारतीय रिज़र्व बैंक के अन्य भुगतान और अन्य देयताएँ होती हैं, जो भारतीय रिज़र्व बैंक की निवल अन्य आस्तियों को घटाकर निकाली जाती हैं। इसी प्रकार बैंकों के एनएनएमएल में शामिल मदें, उनकी पूँजी, आरक्षित निधि, प्रावधानन, आदि होती हैं। बैंकिंग क्षेत्र के एनएनएमएल में रिज़र्व बैंक का एनएनएमएल और अन्य बैंकों का एनएनएमएल शामिल होते हैं।

'जनता के पास मुद्रा' संचलन में मुद्रा घटाव बैंकों द्वारा धारित नकदी होती है । 'मांग जमा' में वे सभी देयताएँ शामिल होती हैं, जो मांग पर देय होती हैं और उनमें चालू जमाराशियाँ, बचत बैंक जमाराशियों का मांग देयताओं वाला भाग, साख-पत्र/गारंटियों की जमानत पर धारित मार्जिन, अतिदेय सावधि जमा में शेष, नकदी प्रमाणपत्र और संचयी/आवर्ती जमाराशियाँ, बकाया तार अंतरण (टीटी), डाक अंतरण (एमटी), मांग ड्राफ्ट (डीडी), दावा नहीं की गयी जमाराशियाँ, कैश क्रेडिट खाते में जमाशेष और मांग पर देय अग्रिमों के लिए प्रतिभूति के रूप में धारित जमाराशियाँ शामिल होती हैं । बैंकिंग प्रणाली के बाहर से मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि को अन्य के प्रति देयताओं के रूप में दर्शाया जाता है।

'मीयादी जमाराशियाँ' वे जमाराशियाँ होती हैं, जो मांग से अन्यथा पर देय होती हैं और इनमें सावधि जमा, नकदी प्रमाणपत्र, संचयी और आवर्ती जमा, बचत बैंक जमाराशि का मीयादी देयताओं वाला भाग, स्टाफ प्रतिभूति जमा, साख-पत्र की जमानत पर धारित मार्जिन मनी, यदि मांग पर देय नहीं हो, इंडिया मिलेनियम डिपोजिट और गोल्ड डिपोजिट शामिल होते हैं ।

'सरकार को निवल बैंक ऋण' में शामिल होते हैं केंद्र और राज्य सरकारों को भारतीय रिज़र्व बैंक का निवल ऋण और केंद्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों में वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों के निवेश । 'वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण' में शामिल होते हैं वाणिज्यिक क्षेत्र को भारतीय रिज़र्व बैंक और अन्य बैंकों के ऋण । वाणिज्यिक क्षेत्र को अन्य बैंकों के ऋण में शामिल होते हैं वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंकों के ऋण और अग्रिम (जिनमें अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का खाद्य ऋण शामिल है) और 'अन्य अनुमोदित' प्रतिभूतियों में बैंकों के निवेश ।

आदिवर्णिक शब्दों एनएम$_1$, एनएम$_2$ और एनएम$_3$ का प्रयोग नयी कुल मौद्रिक जमाराशियों में वर्तमान कुल मौद्रिक जमाराशियों के अंतर को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है [जैसाकि मुद्रा आपूर्ति से संबंधित कार्यकारी दल :एनैलिटिक्स एंड मेथेडोलॉजी ऑफ कंपाइलेशन

(डब्लूजीएमएस)(अध्यक्ष : डॉ.वाई.वी. रेड्डी), जून 1998 द्वारा प्रस्ताव किया गया] । एनएम$_2$ और एनएम$_3$ रेजिडेंसी अवधारणा पर आधारित हैं और इसलिए वे सीधे-सीधे एफसीएनआर(बी) जमा के रूप में अनिवासी विदेशी मुद्रा प्रत्यावर्तनीय सावधि जमाराशियों, रिसर्जेंट इंडिया बांड्स (आरआईबी) और इंडिया मिलेनियम डिपॉजिट्स (आईएमडी) की गणना नहीं करते हैं । रेजिडेंसी अनिवार्य रूप से उस देश से संबंधित होती है, जिसमें धारक का आर्थिक हित केंद्रित होता है । शेष दुनिया में अनिवासियों द्वारा धारित करेंसी और जमाराशियाँ अंतरराष्ट्रीय पूँजी प्रवाह जैसे भुगतान संतुलन संबंधी विचारों से संबंधित होंगी, न कि मौद्रिक आस्तियों के लिए घरेलू मांग या घरेलू लेनदेनों में मुद्रा के उपयोग से। जबकि रेजिडेंसी द्वारा जमा देयताओं को वर्गीकृत किये जाने की आवश्यकता है, सभी कोटियों के अनिवासी जमा को घरेलू कुल मौद्रिक जमाराशियों से अलग करना युक्तियुक्त नहीं होगा, क्योंकि अनिवासी रुपया जमाराशियाँ अनिवार्य रूप से घरेलू वित्तीय प्रणाली में एकीकृत होती हैं । इसलिए, केवल अनिवासी प्रत्यावर्तनीय विदेशी मुद्रा सावधि जमाराशियों को जमा संबंधी देयताओं में शामिल नहीं किया जाता है और उन्हें बाह्य देयताओं के रूप में माना जाता है । तदनुसार, अनिवासी जमाराशियों की विविध कोटियों में से एफसीएनआर(बी), रिसर्जेंट इंडिया बांड्स (आरआईबी) और इंडिया मिलेनियम डिपॉजिट्स (आईएमडी) को बाह्य देयताओं के रूप में वर्गीकृत किया गया और उन्हें घरेलू मुद्रा स्टॉक में शामिल नहीं किया गया । नये मौद्रिक और चलनिधि समुच्चयों के अन्य प्रमुख लक्षण निम्नवत् हैं :

1. कुल मौद्रिक राशियों के चार परिमापों का और चलनिधि समुच्चयों के तीन परिमापों का संकलन, जो व्यापक वित्तीय क्षेत्र सर्वेक्षण के अतिरिक्त है। एनएम$_0$ अनिवार्य रूप से मौद्रिक आधार होता है, जिसका संकलन मुख्यतः भारतीय रिज़र्व बैंक के तुलनपत्र से किया जाता है ; एनएम$_1$ परिशुद्ध रूप से बैंकिंग क्षेत्र की ब्याज रहित मौद्रिक देयताओं को प्रतिबिंबित करता है; एनएम$_2$ में करेंसी और चालू जमा के अतिरिक्त बचत और अल्पावधि जमाराशियाँ शामिल होती हैं, जो कंपनियों के लेनदेन शेषों को प्रतिबिंबित करती है । एनएम$_3$ को पुनः परिभाषित किया गया, ताकि वह एनएम$_2$ के अतिरिक्त कॉल फंडिंग को प्रतिबिंबित करे, जिसे बैंकिंग प्रणाली अन्य वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त करती है ।

2. बैंक ऋण को मौद्रिक अर्थशास्त्र में अक्सर विशिष्ट रूप से महत्वपूर्ण चर वस्तुओं के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है, जो सीधे ढंग से उपभोग और पूँजी निर्माण को प्रभावित करता है । इसलिए इसे अक्सर मुद्रा आपूर्ति की तुलना में संपदा-क्षेत्र कार्यकलाप के अधिक लाभदायक संकेतक के रूप में माना जाता है । भारत में, मौद्रिक नीति के उद्देश्यों में से एक को आधिकारिक दस्तावेजों में स्पष्ट रूप से अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों को पर्याप्त ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने के उद्देश्य के रूप में माना जाता है । जबकि सरकार को बैंकिंग क्षेत्र से ऋण की स्पष्ट रूप से पहचान की जाती है, वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण में केवल ऋण के रूप में अग्रिम, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, खरीदे और भुनाये गये बिल और सरकारी प्रतिभूतियों से भिन्न अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश शामिल होते हैं। तथापि, हाल के वर्षों में वाणिज्यिक बैंक प्रतिभूतियों में, यथा, वाणिज्यिक पत्र, वाणिज्यिक क्षेत्र द्वारा जारी किये गये शेयरों और डिबेंचरों में निवेश करते रहे हैं, जो परंपरागत ऋण समुच्चयों में प्रतिबिंबित नहीं होते हैं । बैंक ऋण की परिभाषा को व्यापक बनाते हुए इसमें ऐसे निवेशों को शामिल किया गया है ।

3. बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियों (एनएफए) में आरबीआई की निवल विदेशी मुद्रा

आस्तियाँ और बैंकिंग प्रणाली की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियाँ शामिल होती हैं । बैंकिंग प्रणाली की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियों में i) अनिवासी प्रत्यावर्तनीय विदेशी मुद्रा सावधि जमाराशियों, जिन्हें वर्तमान में इस प्रकार परिभाषित किया जाता है कि इनमें एफसीएनआर(बी) जमाराशियाँ शामिल होती हैं, और ii) समुद्रपार विदेशी मुद्रा उधार को घटाकर उनके विदेशी मुद्रा आस्तियों के धारण समाविष्ट होते हैं ।

4. नयी कुल मौद्रिक राशियों, एनएम$_3$ में पूँजीगत लेखा में शामिल होते हैं चुकता पूँजी और आरक्षित निधियाँ। 'अन्य मदें (निवल)' अवशिष्ट होती हैं, जो मौद्रिक और बैंकिंग लेखों के घटकों और स्रोतों का संतुलन करती हैं और इसमें अन्य मांग और मीयादी देयताएँ, निवल अंतर-बैंक देयताएँ, आदि शामिल होती हैं, जो लागू हों।

1.3 व्याप्ति

इस समय कुल मौद्रिक राशियों का संकलन अनुसूचित वाणिज्य बैंकों, सहकारी बैंकों, शहरी सहकारी बैंकों और डाकघरों से प्राप्त आँकड़ों के आधार पर किया जाता है। सहकारी बैंकों की व्याप्ति कालान्तर में बढ़ी है (सारणी 1.2)। जहाँ तक सहकारी बैंकों का संबंध है, फरवरी 1970 तक के आँकड़ों में शामिल हैं राज्य सहकारी बैंकों से प्राप्त आँकड़े, जबकि मार्च 1970 और उसके बाद के आँकड़ों में मध्यवर्ती सहकारी बैंकों और प्राथमिक सहकारी बैंकों के आँकड़े शामिल हैं।

1.3.1 संकलन में परिवर्तन

बचत जमाराशियों को इसके दो घटकों में प्रभाजन - मांग और मीयादी - के निरूपण में एक परिवर्तन मार्च 1978 में किया गया । बचत खातों को मांग और मीयादी हिस्सों में इस बात पर निर्भर करते हुए विभाजित किया जाता है कि क्या ऐसी जमाराशियों पर वास्तव में ब्याज का भुगतान किया जाता है । बैंकों को इस प्रकार के वर्गीकरण की रिपोर्ट सितंबर 30 और मार्च 31 को कारोबार की समाप्ति पर मौजूद स्थिति के आधार पर करनी होती है। जबकि इसके पूर्व ऐसी रिपोर्ट जून-अंत और दिसंबर-अंत में करनी होती थी।

भारत में कुल मौद्रिक राशियों के संकलन की कार्यप्रणाली के विकास को संक्षिप्त रूप में नीचे सारणी में (सारणी 1.2) दर्शाया गया है।

सारणी 1.2 :मुद्रा स्टॉक का माप :संकलन की कार्यप्रणाली का विकास

प्रथम कार्यकारी दल (एफडब्लूजी)(1961)	द्वितीय कार्यकारी दल (एसडब्लूजी)(1977)	मुद्रा आपूर्ति के संबंध में कार्यकारी दल (डब्लूजीएमएस)(1998)	अभ्युक्ति
1	2	3	4
घटक (सी)			
सी.I. जनता के पास मुद्रा (सी.I.1+सी.I.2-सी.I.3-सी.I.4-सी.I.5)	*सी.I. जनता के पास मुद्रा (सी.I.1+सी.I.2-सी.I.3-सी.I.4)*	*सी.I. जनता के पास मुद्रा (सी.I.1+सी.I.2-सी.I.3)*	
सी.I.1 संचलन में नोट	सी.I.1 संचलन में नोट	सी.I.1 संचलन में नोट	
सी.I.2 रुपये के सिक्कों और छोटे सिक्कों का संचलन, अर्थात् जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएँ	सी.I.2 रुपये के सिक्कों और छोटे सिक्कों का संचलन, अर्थात् जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएँ	सी.I.2 रुपया सिक्कों और छोटे सिक्कों का संचलन, अर्थात् जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएँ	इसमें रुपया सिक्के और छोटे सिक्के समाविष्ट होते हैं । अक्तूबर 1969 से जारी दस रुपये के सिक्के, नवंबर

सारणी 1.2 :मुद्रा स्टॉक का माप :संकलन की कार्यप्रणाली का विकास *(जारी)*

प्रथम कार्यकारी दल (एफडब्लूजी)(1961)	द्वितीय कार्यकारी दल (एसडब्लूजी)(1977)	मुद्रा आपूर्ति के संबंध में कार्यकारी दल (डब्लूजीएमएस)(1998)	अभ्युक्ति
1	2	3	4
			1982 से जारी दो-रुपये के सिक्के और नवंबर 1985 से जारी पाँच रुपये के सिक्के रुपया सिक्कों के अंतर्गत शामिल किये जाते हैं। पाकिस्तान से लौटे भारतीय नोटों को घटाकर।
सी.I.3 पाकिस्तान द्वारा लौटायी गयी मुद्रा	सी.I.3 पाकिस्तान द्वारा लौटायी गयी मुद्रा		
सी.I.4 बैंकों, अर्थात् वाणिज्यिक बैंक और राज्य सहकारी बैंकों के पास हाथ में नकदी	सी.I.4 बैंकिंग प्रणाली अर्थात् वाणिज्यिक बैंक, राज्य सहकारी बैंक, मध्यवर्ती सहकारी बैंक और प्राथमिक सहकारी बैंकों के पास हाथ में नकदी	सी.I.3 बैंकिंग प्रणाली के पास हाथ में नकदी	एफडब्लूजी ने केवल वाणिज्यिक और राज्य सहकारी बैंकों पर विचार किया जबकि एसडब्लूजी ने इसकी व्याप्ति मध्यवर्ती सहकारी बैंकों और प्राथमिक सहकारी बैंकों तक विस्तारित की, जिसमें शहरी सहकारी बैंक और वेतन अर्जक समितियाँ होती हैं।
सी.I.5 कोषागारों में रखे केंद्र और राज्य सरकारों के जमाशेष			अगस्त 1967 से कोषागारों में रखे जमाशेषों को उनकी अत्यल्प राशि को ध्यान में रखते हुए माप में शामिल नहीं किया गया।
सी.II. बैंकों के पास सकल जमाराशियाँ (सी.II.1+सी.II.2)	*सी.II. बैंकिंग प्रणाली के पास सकल जमाराशियाँ (सी.II.1+सी.II.2)*	*सी.II. बैंकिंग प्रणाली के पास निवासियों द्वारा रखी गयी सकल जमाराशियाँ (सी.II.1+सी.II.2-सी.II.2.2.1-सी.II.2.3.1)*	मध्यवर्ती और शहरी सहकारी बैंकों को शामिल किये जाने से एसडब्लूजी ने बैंकिंग प्रणाली के पास अंतर-बैंक जमाराशियों को निवल गैर-मौद्रिक देयताओं (अर्थात् अन्य मदें (निवल)) के भाग के रूप में माना जैसाकि मुद्रा आपूर्ति के संबंध में कार्यकारी दल (डब्लूजीएमएस): एनैलिटिक्स एंड मेथोडोलॉजी ऑफ कंपाइलेशन द्वारा परिभाषित किया गया था। डब्लूजीएमएस ने सिफारिश की कि सकल जमाराशियों को निवासी आधार पर होना चाहिए, जिसके द्वारा अनिवासियों द्वारा धारित प्रत्यावर्तनीय विदेशी मुद्रा सावधि जमाराशियाँ, उदाहरणार्थ एफसीएनआर(बी) जमाराशियाँ मुद्रा आपूर्ति में शामिल नहीं की जाती हैं।

सारणी 1.2 :मुद्रा स्टॉक का माप :संकलन की कार्यप्रणाली का विकास *(जारी)*

प्रथम कार्यकारी दल (एफडब्लूजी)(1961)	द्वितीय कार्यकारी दल (एसडब्लूजी)(1977)	मुद्रा आपूर्ति के संबंध में कार्यकारी दल (डब्लूजीएमएस)(1998)	अभ्युक्ति
1	2	3	4
सी.II.1 बैंकों के पास मांग जमाराशि (जिसमें राज्य सहकारी बैंकों के पास अंतर-बैंक मांग जमाराशि शामिल है)	सी.II.1 बैंकिंग प्रणाली के पास मांग जमाराशियाँ	सी.II.1 बैंकिंग प्रणाली के पास मांग जमाराशियाँ	
सी.II.2 बैंकों के पास मीयादी जमाराशियाँ (जिसमें राज्य सहकारी बैंकों के पास अंतर-बैंक मीयादी जमाराशि शामिल है)	सी.II.2 बैंकिंग प्रणाली के पास मीयादी जमाराशि	सी.II.2 बैंकिंग प्रणाली के पास निवासियों द्वारा रखी गयी मीयादी जमाराशियाँ (सी.II.2.1 +सी.II.2.2+ सी.II.2.3) सी.II.2.1 जमा प्रमाणपत्र (सीडी) सी.II.2.2 अल्पावधि[1] मीयादी जमाराशियाँ सी.II.2.2.1 विदेशी मुद्रा प्रत्यावर्तनीय अल्पावधि[1] मीयादी जमाराशियाँ, जो अनिवासियों द्वारा रखी गयी हैं सी.II.2.3 दीर्घावधि[2] मीयादी जमाराशियाँ सी.II.2.3.1 विदेशी मुद्रा प्रत्यावर्तनीय दीर्घावधि[2] मीयादी जमाराशियाँ, जो अनिवासियों द्वारा रखी गयी हैं सी.II.3 बचत खाते सी.II.3.1 बचत खातों का मीयादी देयताओं वाला हिस्सा	डब्लूजीएमएस ने एक वर्ष पर विभाजित परिपक्वता संरचना के आधार पर मीयादी जमाराशियों का सीडी और अन्य मीयादी जमाराशियों में विश्लेषित विवरण दिये जाने की सिफारिश की।
सी.III भा.रि.बैंक के पास 'अन्य' जमाराशियाँ (सी.III.1-सी.III.2)	*सी.III भा.रि.बैंक के पास 'अन्य' जमाराशियाँ (सी.III.1-सी.III.2-सी.III.3-सी.III.4-सी.III.5)*	*सी.III भा.रि.बैंक के पास 'अन्य' जमाराशियाँ (सी.III.1-सी.III.2-सी.III.3-सी.III.4-सी.III.5)*	
सी.III.1 भा.रि.बैंक के पास अन्य जमाराशियाँ	सी.III.1 भा.रि.बैंक के पास अन्य जमाराशियाँ	सी.III.1 भा.रि.बैंक के पास अन्य जमाराशियाँ	
सी.III.2 भा.रि.बैंक के पास खाता सं.1* में आईएमएफ जमाराशियाँ	सी.III.2 भा.रि.बैंक के पास खाता सं.1* में आईएमएफ जमाराशियाँ	सी.III.2 भा.रि.बैंक के पास खाता सं.1* में आईएमएफ जमाराशियाँ	
	सी.III.3 भा.रि.बैंक कर्मचारी पेंशन/भविष्य/ सहकारी गारंटी निधियाँ	सी.III.3 भा.रि.बैंक कर्मचारी पेंशन/भविष्य/सहकारी गारंटी निधियाँ	रिज़र्व बैंक कर्मचारी पेंशन/भविष्य/ और सहकारी गारंटी निधियों के अंतर्गत जमाशेषों को जनवरी 1964 से मुद्रा आपूर्ति में शामिल नहीं किया जाता है ।

सारणी 1.2 :मुद्रा स्टॉक का माप :संकलन की कार्यप्रणाली का विकास *(जारी)*

प्रथम कार्यकारी दल (एफडब्लूजी)(1961)	द्वितीय कार्यकारी दल (एसडब्लूजी)(1977)	मुद्रा आपूर्ति के संबंध में कार्यकारी दल (डब्लूजीएमएस)(1998)	अभ्युक्ति
1	2	3	4
	सी.III.4 भा.रि.बैंक के पास अनिवार्य जमा	सी.III.4 भा.रि.बैंक के पास अनिवार्य जमा	अतिरिक्त परिलब्धियाँ (अनिवार्य जमा) अधिनियम 1974 और अनिवार्य जमा योजना (आयकर दाता) अधिनियम के अंतर्गत जमाशेषों को क्रमशः 16 अगस्त 1974 और 13 दिसंबर 1974 से मुद्रा आपूर्ति में शामिल नहीं किया गया।
	सी.III.5 भा.रि.बैंक के लाभ, जिन्हें अस्थायी रूप से अन्य जमाराशियों के अंतर्गत रखा जाता है और आबंटन होने तक राज्य सरकार के ऋणों में अभिदान	सी.III.5 भा.रि.बैंक के लाभ, जिन्हें अस्थायी रूप से अन्य जमाराशियों के अंतर्गत रखा जाता है और आबंटन होने तक राज्य सरकार के ऋणों में अभिदान	
	सी.IV डाकघर की कुल जमाराशियाँ सी.IV.1 डाकघर की बचत जमाराशियाँ	सी.IV डाकघर की कुल जमाराशियाँ सी.IV.1 डाकघर की बचत जमाराशियाँ	डाकघर की जमाराशियों को एसडब्लूजी द्वारा मौद्रिक समुच्चयों में शामिल किया गया । डब्लूजीएमएस ने सिफारिश की कि इन्हें चलनिधि समुच्चयों का भाग होना चाहिए ।
		सी.V अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा बैंकेतर स्रोतों (पीडी को छोड़कर) से मांग/मीयादी मुद्रा उधार	उधार द्योतक होते हैं बैंकिंग प्रणाली के बाहर से प्राप्त मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि के, लेकिन इसमें भा.रि.बैंक और वित्तीय संस्थाओं से पुनर्वित्त शामिल नहीं होते हैं।
सी.IV जनता के पास मुद्रा आपूर्ति (=सी.I+सी.II.1+ सी.III)	सी.V संकुचित मुद्रा ($एम_1$) (=सी.I+सी.II.1+ सी.III)	सी.VI संकुचित मुद्रा ($एम_1$) (=सी.I+सी.II.1+ सी.III)	एम 1 शृंखला में एक भंग है, जो बचत खातों के मांग और मीयादी घटकों के पुनः वर्गीकरण के चलते हुआ है, देखें, परिपत्र डीबीओडी.सं.आरईएफ. बीसी.127/सी.96(आरईटी) - 77 दिनांक 15 अक्तूबर 1977

*** आईएमएफ खाता सं.1**

आईएमएफ किसी सदस्य के साथ अपना वित्तीय लेनदेन राजकोषीय अभिकरण और सदस्य द्वारा नामित निक्षेपागार के माध्यम से संचालित करता है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक सदस्य को अपने केंद्रीय बैंक को निक्षेपागार के रूप में नामित करना होता है, जो सदस्य की मुद्रा को आईएमएफ द्वारा धारित रखने का काम करता है , अथवा यदि इसका कोई केंद्रीय बैंक नहीं हो, तो किसी मौद्रिक अभिकरण या वाणिज्यिक बैंक को नामित करना होता है, जो आईएमएफ को स्वीकार्य हो। अधिकांश सदस्यों ने अपने-अपने केंद्रीय बैंकों को निक्षेपागार और वित्तीय अभिकरण, दोनों ही रूपों में नामित किया है । निक्षेपागार बिना किसी सेवा शुल्क या कमीशन के दो खाते रखता है, जिनका उपयोग सदस्य की मुद्रा को आईएमएफ द्वारा धारित रखने को अभिलिखित करने के लिए किया जाता है। ये खाते हैं आईएमएफ खाता सं.1 और खाता सं.2। खाता सं.1 का उपयोग आईएमएफ लेनदेनों के लिए किया जाता है, जिनमें अभिदान भुगतान, क्रय और पुनर्क्रय और आईएमएफ द्वारा उधार लिये गये संसाधनों के पुनर्भुगतान शामिल होते हैं ।

सारणी 1.2 :मुद्रा स्टॉक का माप :संकलन की कार्यप्रणाली का विकास *(जारी)*

प्रथम कार्यकारी दल (एफडब्लूजी)(1961)	द्वितीय कार्यकारी दल (एसडब्लूजी)(1977)	मुद्रा आपूर्ति के संबंध में कार्यकारी दल (डब्लूजीएमएस)(1998)	अभ्युक्ति
1	2	3	4
	सी.VI.एम$_2$ (=सी.V+सी.IV.1)	सी.VII.एम$_2$ (=सी.VI+सी.II.2.1+सी.II.2.2-सी.II.2.2.1 +सी.II.3.1)	
सी.V. सकल मौद्रिक संसाधन (=सी.IV+सी.II.2)	सी.VII व्यापक मुद्रा (एम$_3$) (=सी.V+सी.II.2)	सी.VIII व्यापक मुद्रा (एम$_3$) (=सी.VII+सी.II.2.3-सी.II.2.3.1+सी.V)	एफडब्लूजी द्वारा प्रस्तावित सकल मौद्रिक संसाधनों के संबंध में आँकड़े पहली बार बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 1964-65 में और मुद्रा और वित्त की रिपोर्ट 1967-68 में प्रकाशित किये गये।
	सी.VIII.एम$_4$(=सी.IV+सी.VII.)		
		सी.IX.एल$_1$(=सी.IV+सीVIII)	
		सी.X. वित्तीय संस्थाओं की मीयादी जमाराशियाँ सी.XI. वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी किये गये प्रमाणपत्र सी.XII. वित्तीय संस्थाओं द्वारा मीयादी उधार सी.XIII. एल$_2$ (=सी.IX+सी.X+सी.XI+सी.XII)	इसमें आइडीबीआइ, आइसीआइसीआइ, आइएफसीआइ, आइआइबीआइ, एक्जिम बैंक, टीएफसीआइ, नाबार्ड, सिडबी और एनएचबी शामिल हैं।
		सी.XIV. गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) द्वारा जनता से जमाराशियाँ	इसमें वे एनबीएफसी शामिल हैं, जिनके पास जनता की जमाराशि 20 करोड़ रुपये या अधिक हो।
		सी.XV.एल$_3$(=सी.XIII+सी.XIV)	
स्रोत(एस)			
एस I. सरकारी क्षेत्र को निवल बैंक ऋण (=एस I.1+एस I.2)	*एस I. सरकारी क्षेत्र को निवल बैंक ऋण (=एस I.1+एस I.2)*	*एस I. सरकार को निवल बैंक ऋण (=एस I.1+एस I.2)*	
एस I.1 सरकारी क्षेत्र को निवल आरबीआइ ऋण (एस I.1.1+एस I.1.2+एस I.1.3+ एस I.1.4+एस I.1.5+ एस I.1.6+ एस I.1.7+ एस I.1.8)	एस I.1 सरकारी क्षेत्र को निवल आरबीआइ ऋण (एस I.1.1+एस I.1.2)	सरकारी क्षेत्र को निवल आरबीआइ ऋण (एस I.1.1 +एस I.1.2)	
	एस I.1.1 केंद्र सरकार को निवल आरबीआइ ऋण (एस I.1.1.1+ एस I.1.1.2 + एस I.1.1.3 +	एस I.1.1 केंद्र सरकार को निवल आरबीआइ ऋण (एस I.1.1.1+ एस	

सारणी 1.2 :मुद्रा स्टॉक का माप :संकलन की कार्यप्रणाली का विकास *(जारी)*

प्रथम कार्यकारी दल (एफडब्लूजी)(1961)	द्वितीय कार्यकारी दल (एसडब्लूजी)(1977)	मुद्रा आपूर्ति के संबंध में कार्यकारी दल (डब्लूजीएमएस)(1998)	अभ्युक्ति
1	2	3	4
	एस I.1.1.4+ एस I.1.1.5 - एस I.1.1.6)	I.1.1.2+एसI.1.1.3+एसI.1.1.4+ एस I.1.1.5- एस I.1.1.6)	
एस I.1.1 केंद्र सरकार को ऋण और अग्रिम	एस I.1.1.1 केंद्र सरकार को ऋण और अग्रिम	एस I.1.1.1 केंद्र सरकार को ऋण और अग्रिम	
एस I.1.2 खरीदे और भुनाये गये बिल	एस I.1.1.2 खरीदे और भुनाये गये बिल	एस I.1.1.2 खरीदे और भुनाये गये बिल	
एस I.1.3 खजाना बिलों में निवेश	एस I.1.1.3 खजाना बिलों में निवेश	एस I.1.1.3 अल्पावधि[1] केंद्र सरकार प्रतिभूतियों में निवेश	
एस I.1.4 भारत सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश	एस I.1.1.4 केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश	एस I.1.1.4 दीर्घावधि[2] केंद्र सरकार प्रतिभूतियों में निवेश	
एस I.1.5 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा धारित रुपया सिक्के	एस I.1.1.5 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा धारित रुपया सिक्के	एस I.1.1.5 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा धारित रुपया सिक्के	
एस I.1.6 भारतीय रिज़र्व बैंक के पास केंद्र सरकार की जमाराशि	एस I.1.1.6 भारतीय रिज़र्व बैंक के पास केंद्र सरकार की जमाराशि	एस I.1.1.6 भारतीय रिज़र्व बैंक के पास केंद्र सरकार की जमाराशि	
	एस I.1.2 राज्य सरकार को निवल आरबीआइ ऋण (एस I.1.2.1 - एस I.2.2)	एस I.1.2 राज्य सरकार को निवल आरबीआइ ऋण (एस I.1.2.1 - एस I.1.2.2)	
एस I.1.7 राज्य सरकारों को ऋण एवं अग्रिम	एस I.1.2.1 राज्य सरकारों को ऋण एवं अग्रिम	एस I.1.2.1 राज्य सरकारों को ऋण एवं अग्रिम	
एस I.1.8 राज्य सरकारों की जमाराशियाँ	एस I.1.2.2 राज्य सरकारों की जमाराशियाँ	एस I.1.2.2 राज्य सरकारों की जमाराशियाँ	
एस I.2. सरकार को अन्य बैंकों का ऋण (एस I.2.1+एस I.2.2)	एस I.2. सरकार को अन्य बैंकों का ऋण (=एस I.2.1)	एस I.2. बैंकिंग प्रणाली द्वारा सरकार को ऋण (एस I.2.1+एस I.2.2)	
एस I.2.1 सरकारी प्रतिभूतियों में अन्य बैंकों के निवेश	एस I.2.1 सरकारी प्रतिभूतियों में अन्य बैंकों के निवेश	एस I.2.1 अल्पावधि सरकारी प्रतिभूतियों में बैंकिंग प्रणाली द्वारा निवेश एस I.2.2 दीर्घावधि[2] सरकारी प्रतिभूतियों में बैंकिंग प्रणाली द्वारा निवेश	खजाना बिलों का मूल्यन रखाव लागत पर किया जाना है

सारणी 1.2 :मुद्रा स्टॉक का माप :संकलन की कार्यप्रणाली का विकास *(जारी)*

प्रथम कार्यकारी दल (एफडब्लूजी)(1961)	द्वितीय कार्यकारी दल (एसडब्लूजी)(1977)	मुद्रा आपूर्ति के संबंध में कार्यकारी दल (डब्लूजीएमएस)(1998)	अभ्युक्ति
1	2	3	4
एस I.2.2 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएँ, जिन्हें कोषागारों में जमाशेषों के लिए समायोजित किया गया			जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताओं को अक्तूबर 1962 में मुद्रा स्टॉक के स्वतंत्र स्रोत के रूप में निकाला गया।
एस.II निजी क्षेत्र को कुल बैंक ऋण (एस.II.1+एस.II.2)	एस.II वाणिज्यिक क्षेत्र को कुल बैंक ऋण (एस.II.1+ एस.II.2)	एस.II वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण (एस.II.1+एस.II.2)	'निजी क्षेत्र' नाम बदलकर 1970 में 'वाणिज्यिक क्षेत्र' कर दिया गया, क्योंकि बैंक ऋण में सरकारी क्षेत्र में भी वाणिज्यिक/ विनिर्माण उद्यमों को दिया गया ऋण शामिल किया जाता था।
एस.II.1 निजी क्षेत्र को आरबीआइ ऋण (एस.II.1.1+ एस.II.1.2)	एस.II.1 वाणिज्यिक क्षेत्र को आरबीआइ ऋण (एस.II.1.1+ एस.II.1.2+एस.II.1.3)	एस.II.1 वाणिज्यिक क्षेत्र को आरबीआइ ऋण (एस.II.1.1+ एस.II.1.2+एस.II.1.3)	
एस.II.1.1 वित्तीय संस्थाओं के शेयरों/बांडों, सहकारी क्षेत्र के साधारण डिबेंचरों, केंद्रीय भूमि बंधक बैंक (सीएलएमबी) डिबेंचरों, आदि में आरबीआइ के निवेश	एस.II.1.1 वित्तीय संस्थाओं के शेयरों/बांडों, सहकारी क्षेत्र के साधारण डिबेंचरों, केंद्रीय भूमि बंधक बैंक (सीएलएमबी) डिबेंचरों, आदि में आरबीआइ के निवेश	एस.II.1.1 वित्तीय संस्थाओं के शेयरों/बांडों, सहकारी क्षेत्र के साधारण डिबेंचरों, केंद्रीय भूमि बंधक बैंक (सीएलएमबी) डिबेंचरों, आदि में आरबीआइ के निवेश	
एस.II.1.2 वित्तीय संस्थाओं को ऋण	एस.II.1.2 वित्तीय संस्थाओं को ऋण	एस.II.1.2 वित्तीय संस्थाओं को ऋण	12 जुलाई 1982 को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की स्थापना होने पर भारतीय रिज़र्व बैंक की कुछ आस्तियाँ और देयताएँ नाबार्ड को अंतरित कर दी गईं, जिससे यह आवश्यक हो गया कि उस तिथि से मुद्रा स्टॉक के स्रोत पक्ष के संबंध में सकल राशियों का पुनः वर्गीकरण किया जाये । डब्लूजीएमएस ने सिफारिश की कि नाबार्ड को आरबीआइ का पुनर्वित्त वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण के रूप में पुनः वर्गीकृत किया जाये, जबकि अब तक इसे बैंकों पर दावे के रूप में माना जाता था ।
	एस.II.1.3 आंतरिक बिल (बिल पुनर्भुनाई योजना के अंतर्गत)	एस.II.1.3 आंतरिक बिल (बिल पुनर्भुनाई योजना के अंतर्गत)	बिल पुनर्भुनाई योजना आरंभ किये जाने से वाणिज्यिक बैंकों ने आंतरिक बिलों को आरबीआइ में भुनाना।

सारणी 1.2 :मुद्रा स्टॉक का माप :संकलन की कार्यप्रणाली का विकास *(जारी)*

प्रथम कार्यकारी दल (एफडब्लूजी)(1961)	द्वितीय कार्यकारी दल (एसडब्लूजी)(1977)	मुद्रा आपूर्ति के संबंध में कार्यकारी दल (डब्लूजीएमएस)(1998)	अभ्युक्ति
1	2	3	4
			आरंभ किया, और इन्हें जून 1971 से वाणिज्यिक क्षेत्र को आरबीआइ ऋण में शामिल किया गया ।
एस.II.2 निजी क्षेत्र को अन्य बैंकों का निवल ऋण (एस.II.2.1+ एस.II.2.2-एस.II.2.3- एस.II.2.4- एस.II.2.5)	एस.II.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को अन्य बैंकों का निवल ऋण (एस.II.2.1+ एस.II.2.2)	एस.II.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंकिंग प्रणाली द्वारा ऋण (एस.II.2.1+ एस.II.2.2+एस.II.2.3+एस.II.2.4)	
एस.II.2.1 बैंक ऋण	एस.II.2.1 बैंक ऋण	एस.II.2.1 बैंक ऋण	इसमें एससीबी, आरआरबी के ऋण, कैश क्रेडिट ओर ओवरड्राफ्ट तथा खरीदे एवं भुनाये गये आंतरिक एवं विदेशी बिल शामिल हैं।
एस.II.2.2 अन्य निवेश	एस.II.2.2 अन्य निवेश	एस.II.2.2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश	
		एस.II.2.3 अन्य निवेश	उन प्रतिभूतियों में निवेश शामिल है, जो सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) बनाये रखने के लिए अनुमोदित नहीं हैं, जैसेकि वाणिज्यिक पत्र, यूटीआई और म्युचुअल फंडों की यूनिटें तथा सरकारी और निजी बैंकेतर क्षेत्र के शेयर/डिबेंचर/बांड।
एस.II.2.3 निवल अंतर-बैंक देयताएँ			चूँकि मुद्रा आपूर्ति में मध्यवर्ती और प्राथमिक सहकारी बैंकों के लिए आँकड़े शामिल नहीं किये गये, एफडब्लूजी ने बैंक ऋण को निवल अंतर-बैंक देयताओं के लिए समायोजित किया था । तथापि, इनको एसडब्लूजी द्वारा सहकारी क्षेत्र की पूरी व्याप्ति में विस्तार पर निवल गैर -मौद्रिक देयताओं के भाग के रूप में माना गया।
एस.II.2.4 वित्तीय संस्थाओं से ऋण			एफडब्लूजी ने उन चुनिंदा वित्तीय संस्थाओं से, जो आरबीआइ से पुनर्वित्त प्राप्त करती थीं,ऋण पर बैंक ऋण को समायोजित किया था, जिसे वाणिज्यिक क्षेत्र को आरबीआइ

सारणी 1.2 :मुद्रा स्टॉक का माप :संकलन की कार्यप्रणाली का विकास *(जारी)*

प्रथम कार्यकारी दल (एफडब्लूजी)(1961)	द्वितीय कार्यकारी दल (एसडब्लूजी)(1977)	मुद्रा आपूर्ति के संबंध में कार्यकारी दल (डब्लूजीएमएस)(1998)	अभ्युक्ति
1	2	3	4
			ऋण के रूप में गिना जाता था । एसडब्लूजी ने इस समायोजन को बंद कर दिया, क्योंकि यह तर्क दिया गया कि ये वित्तीय संस्थाएँ आरबीआइ से भिन्न स्रोतों के पास भी निधियों के लिए काफी पहुँच रखती थीं।
		एस.II.2.4 प्राथमिक व्यापारियों को निवल उधार दिया जाना	वर्तमान रिपोर्टिंग फार्मेट के अंतर्गत बैंकों द्वारा प्राथमिक व्यापारियों को निवल उधार दिया जाना, जो प्राथमिक व्यापारियों से उनके मांग उधार को घटाकर होता है, निवल अंतर-बैंक आस्तियों का भाग होते हैं । तथापि, चूँकि मौद्रिक आपूर्ति में बैंकिंग क्षेत्र प्राथमिक व्यापारियों को शामिल नहीं करता है, इसे डब्लूजीएमएस द्वारा बैंकिंग प्रणाली से ऋण के भाग के रूप में शामिल किया गया।
एस.II.2.5 बैंकों द्वारा धारित मीयादी जमाराशियाँ (जिनमें राज्य सहकारी बैंकों द्वारा धारित अंतर बैंक मीयादी जमाराशियाँ शामिल हैं)			यह समायोजन करना आवश्यक समझा गया, क्योंकि एफडब्लूजी की चिंता एम1 को लेकर थी ।निवल आधार पर वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण से संबंधित आँकड़े मार्च 1974 से सकल आधार पर बदल दिये गये, चूँकि (i) मीयादी जमाराशियों का उपयोग न केवल वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण का वित्तपोषण करने के लिए किया जाता है, वरन् सरकार को उधार देने के लिए भी किया जाता है और (ii) ये उन वाणिज्यिक उद्यमों के स्वामित्व में नहीं होते हैं, जो अधिकतर बैंकों से उधार लेते हैं।
एस.III बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियाँ (एसIII.1+ एसIII.2)	एस.III बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियाँ (एसIII.1+ एसIII.2)	एस.III बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियाँ (एसIII.1+ एसIII.2)	
एस.III.1 आरबीआइ की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियाँ (स.III.1.1+ एस.III.1.2+ एस.III.1.3- एस.III.1.4- एस.III.1.5)	एस.III.1 आरबीआइ की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियाँ (स.III.1.1+ एस.III.1.2+ एस.III.1.3- एस.III.1.4- एस.III.1.5)	एस.III.1 आरबीआइ की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियाँ (स.III.1.1+ एस.III.1.2- एस.III.1.3+ एस.III.1.4)	

सारणी 1.2 :मुद्रा स्टॉक का माप :संकलन की कार्यप्रणाली का विकास *(जारी)*

प्रथम कार्यकारी दल (एफडब्लूजी)(1961)	द्वितीय कार्यकारी दल (एसडब्लूजी)(1977)	मुद्रा आपूर्ति के संबंध में कार्यकारी दल (डब्लूजीएमएस)(1998)	अभ्युक्ति
1	2	3	4
एस.III.1.1 सोने के सिक्के और बुलियन	एस.III.1.1 सोने के सिक्के और बुलियन	एस.III.1,1 सोने के सिक्के और बुलियन	इसमें 17 अक्तूबर 1990 से अंतरराष्ट्रीय बाजार मूल्य के चलते पुनर्मूल्यन किये जाने से सोने का मूल्यन किया जाना शामिल है। ऐसे पुनर्मूल्यन का तदनुकूल प्रभाव रिज़र्व बैंक की निवल गैर-मौद्रिक देयताओं (पूँजी लेखा) पर पड़ता है ।
		एस.III.1.2 आरबीआइ की विदेशी मुद्रा आस्तियाँ (एस. III. 1.2.1 + एस. III.1.2.2)	जुलाई 1996 से विदेशी मुद्रा आस्तियों का मूल्य प्रत्येक सप्ताह के अंत में प्रचलित विनिमय दर के आधार पर लगाया जा रहा है । ऐसे पुनर्मूल्यन का तदनुकूल प्रभाव रिज़र्व बैंक की निवल गैर-मौद्रिक देयताओं (पूँजी लेखा) पर पड़ता है ।
एस.III.1.2 विदेशी प्रतिभूतियाँ	एस.III.1.2 विदेशी प्रतिभूतियाँ	एस.III.1.2 विदेशी प्रतिभूतियाँ	एसडब्ल्यूजी द्वारा आइबीआरडी के शेयरों जैसी कुछ विदेशी प्रतिभूतियाँ, जो सरकार पर रिज़र्व बैंक के दावों का भाग थीं, उसकी विदेशी आस्तियों के भाग के रुप में पुनर्वर्गीकृत की गईं।
एस.III.1.3 विदेश में धारित जमाशेष	एस.III.1.3 विदेश में धारित जमाशेष	एस.III.1.2.2 विदेश में धारित जमाशेष	
एस.III.1.4 आइएमएफ खाता सं.1	एस.III.1.4 आइएमएफ खाता सं.1	एस.III.1.3 आइएमएफ खाता सं.1	
एस.III.1.5 आरबीआइ की अन्य जमाराशियों के अंतर्गत धारित, यदि हो, खाड़ी के देशों से आहरित विशेष मुद्रा	एस.III1.5 रुपयों में कोटा अभिदान	एस.III.4 रुपयों में कोटा अभिदान	
एस.III.2 बैंकिंग प्रणाली की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियाँ	एस.III.2 बैंकिंग प्रणाली की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियाँ (प्राधिकृत व्यापारियों के जमाशेष)	एस.III.2 बैंकिंग प्रणाली की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियाँ (एस.III.2.1-एस.III.2.2-एस.III.2.3)	
		एस.III.2.1 बैंकिंग प्रणाली की विदेशी मुद्रा आस्तियाँ	इसमें विदेश में धारित जमाशेष (अर्थात्, नोस्त्रो खातों का नकदी घटक, आदि) और पात्र विदेशी प्रतिभूतियों एवं बांडों में निवेश शामिल है।

सारणी 1.2 :मुद्रा स्टॉक का माप :संकलन की कार्यप्रणाली का विकास *(जारी)*

प्रथम कार्यकारी दल (एफडब्लूजी)(1961)	द्वितीय कार्यकारी दल (एसडब्लूजी)(1977)	मुद्रा आपूर्ति के संबंध में कार्यकारी दल (डब्लूजीएमएस)(1998)	अभ्युक्ति
1	2	3	4
		एस.III.2.2 बैंकिंग प्रणाली का समुद्रपार उधार	
		एस.III.2.3 बैंकिंग प्रणाली के पास अनिवासी प्रत्यावर्तनीय विदेशी मुद्रा सावधि जमाराशियाँ (सी.II.2.2.1+ सी.II.2.3.1)	
	एस.IV जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएँ	एस.IV जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएँ	समायोजन के लिए लंबित पाकिस्तान से लौटायी गयी भारतीय मुद्रा को घटाकर।
एस.IV बैंकिंग प्रणाली की निवल गैर-मौद्रिक देयताएँ (एस.IV.1+ एस.IV.2)	एस.V बैंकिंग प्रणाली की निवल गैर-मौद्रिक देयताएँ (एस.V.1+ एस.V.2)	एस.V बैंकिंग क्षेत्र का पूँजीगत लेखा (एस.V.1+ एस.VI.2)	डब्लूजीएमएस ने बैंकिंग क्षेत्र की गैर मौद्रिक देयताओं को पूँजीगत लेखा और अन्य मदों (निवल) में विभाजित कर दिया है।
एस.IV.1 आरबीआइ की निवल गैर-मौद्रिक देयताएँ (एस.IV.1.1+ एस.IV.1.2+ एस.IV.1.3+ एस.IV.1.4+ एस.IV.1.5-एस.IV.1.6+ एस.IV.1.7)	एस.V.1 आरबीआइ की निवल गैर-मौद्रिक देयताएँ (एस.V.1.1+ एस.V.1.2+ एस.V.1.3+ एस.V.1.4+ एस.V.1.5+ एस.V.1.6+ एस.V.1.7+ एस.V.1.8-एस.V.1.9)	एस.V.1 आरबीआइ का पूँजीगत लेखा (एस.V.1.1+ एस.V.1.2+ एस.V.1.3+ एस.V.1.4+ एस.V.1.5+ एस.V.1.6)	
एस.IV.1.1 चुकता पूँजी	एस.V.1.1 चुकता पूँजी	एस.V.1.1 चुकता पूँजी	
एस.IV.1.2 आरक्षित निधियाँ	एस. V.1.2 आरक्षित निधियाँ	एस.V.1.2 आरक्षित निधियाँ	
एस.IV.1.3 राष्ट्रीय कोष में अंशदान	एस.V.1.3 राष्ट्रीय कोष में अंशदान	एस.V.1.3 आकस्मिकता आरक्षित निधि	
एस.IV.1.4 देय बिल	एस.V.1.4 आरबीआइ कर्मचारी पेंशन/भविष्य/गारंटी निधि	एस.V.1.4 विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि/ करेंसी और स्वर्ण पुनर्मूल्यन लेखा	
एस.IV.1.5 अन्य देयताएँ	एस.III1.5 रिजर्व बैंक के पास अनिवार्य जमा	एस.V.1.5 विदेशी मुद्रा समकरण खाता	
एस.IV.1.6 बैंकिंग विभाग में स्वर्ण को घटाकर अन्य आस्तियाँ	एस.V.1.6 देय बिल	एस.V.1.6 राष्ट्रीय कोष में अंशदान	
एस.IV.1.7 समायोजन के लिए लंबित पाकिस्तान से लौटायी गयी भारतीय मुद्रा	एस.V.1.7 अन्य देयताएँ		

सारणी 1.2 :मुद्रा स्टॉक का माप :संकलन की कार्यप्रणाली का विकास *(समाप्त)*

प्रथम कार्यकारी दल (एफडब्लूजी)(1961)	द्वितीय कार्यकारी दल (एसडब्लूजी)(1977)	मुद्रा आपूर्ति के संबंध में कार्यकारी दल (डब्लूजीएमएस)(1998)	अध्युक्ति
1	2	3	4
	एस.V.1.8 आइएमएफ कोटा अभिदान और रुपयों में अन्य भुगतान, जो आइएमएफ खाता सं.1 में शामिल है एस.V.1.9 बैंकिंग विभाग में स्वर्ण को घटाकर अन्य आस्तियाँ		
		एस.V.2 बैंकिंग प्रणाली का पूँजीगत लेखा (एस.V.2.1 +एस.V.2.2) एस.V.2.1 चुकता पूँजी एस.V.2.2 आरक्षित निधियाँ	
एस.IV.2 अन्य बैंकों की गैर-अभिज्ञेय निवल गैर-मौद्रिक देयताएँ (अवशिष्ट)	एस.V.2 बैंकिंग प्रणाली की निवल गैर-मौद्रिक देयताएँ (अवशिष्ट)	एस.VI बैंकिंग क्षेत्र की अन्य मदें (निवल) (एस.VI.1+ एस.VI.2) एस.VI.1 आरबीआइ की अन्य मदें (निवल)(एस.VI.1.1+ एस.VI.1.2 + एस.VI.1.3+ एस.VI.1.4-एस.VI.1.5-एस.VI.1.6-एस.VI.1.7+ एस.VI.1.8-एस.VI.1.9) एस.VI.1.1 आरबीआइ कर्मचारी पेंशन/ भविष्य/ गारंटी निधि एस.VI.1.2 आरबीआइ के पास अनिवार्य जमा की राशि एस.VI.1.3 देय बिल एस.VI.1.4 अन्य देयताएँ एस.VI.1.5 आकस्मिकता आरक्षित निधि एस.VI.1.6 विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि/ मुद्रा एवं स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाता एस.VI.1.7 विदेशी मुद्रा समकरण खाता एस.VI.1.8 आइएमएफ कोटा अभिदान और रुपयों में अन्य भुगतान, जिन्हें आइएमएफ खाता सं.1 में शामिल किया गया एस.VI.1.9 बैंकिंग विभाग में स्वर्ण को घटाकर अन्य आस्तियाँ एस.VI.2 बैंकिंग क्षेत्र की अन्य मदें (निवल) (अवशिष्ट)	आकस्मिकता आरक्षित निधि, विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि और विदेशी मुद्रा समकरण खाता को छोड़ दिया जाता है, जो अब पूँजीगत लेखा के भाग होते हैं और इसलिए समायोजित किये जाते हैं।

1. एक वर्ष या उससे कम संविदागत परिपक्वता की
2. एक वर्ष से अधिक संविदागत परिपक्वता की

स्रोत: रिपोर्ट ऑफ दि वर्किंग ग्रुप ऑन मनी सप्लाई : एनैलिटिक्स एंड मेथोडोलॉजी ऑफ कंपाइलेशन (अध्यक्ष:डॉ.वाई.वी.रेड्डी)(1998), भारतीय रिज़र्व बैंक।

संदर्भ

'भारत में मुद्रा आपूर्ति : अवधारणा, संकलन और विश्लेषण' के संबंध में द्वितीय कार्यकारी दल (अध्यक्ष : एम.एल.घोष) की रिपोर्ट, भारतीय रिज़र्व बैंक, बंबई, 1977।

'मुद्रा आपूर्ति:एनैलिटिक्स एंड मेथोडोलाजी ऑफ कंपाइलेशन' के संबंध में कार्यकारी दल (अध्यक्ष:वाई.वी.रेड्डी) की रिपोर्ट, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुम्बई, जून 1998 ।